(48)

न्यायालय अपर कलेक्टर जिला बैतूल (म0प्र0)

प्र.क्र.:– 0001 / पुर्नविलोकन / 2017–18 / 130 बैतूल दिनांक 03 / 01 / 2018

प्रति. PBR/विविध/बैतूल/भू०रा/2018/0516

माननीय अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,
ग्वालियर।

[आमन / पंजाबराव]

विषयः– मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 के तहत पुर्नविलोकन की अनुमति प्रदान करने बाबत्।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, आवेदक श्री पंजाबराव पिता धन्नू निवासी ग्राम ठेमगॉव तहसील भैसदेही जिला बैतूल द्वारा मौजा ठेमगॉव तहसील भैसदेही स्थित खसरा नंबर 70 / 2 रकबा 1.456 हेक्टेयर का नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किए जाने पर उक्त संबंध में तहसीलदार आठनेर / अनुविभागीय अधिकारी (रा0) भैसदेही से प्रतिवेदन प्राप्त किया जाकर इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांकः– 0004 / अ–6(अ) / 2016–17 मौजा ठेमगॉव में पारित आदेश दिनांक 10–4–2017 द्वारा, मौजा ठेमगॉव स्थित खसरा नंबर 65 रकबा 4.452 हेक्टेयर, खसरा नंबर 70 / 1 रकबा 1.663 हेक्टेयर, खसरा नंबर 70 / 2 रकबा 1.456 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 70 / 3 रकबा 1.663 हेक्टेयर का नक्शा अनुमोदित किया जाकर तद्नुसार नक्शा दुरूस्त करने के आदेश प्रदान किए गए है।

(2)– आवेदक पंजाबराव पिता धन्नू पाटनकर द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10–4–2017 से असंतुष्ट होकर, मध्यप्रदेश भूराजस्व संहिता 1959 की धारा 51 के तहत उपरोक्त आदेश का पुर्नविलोकन करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3)– आवेदक / पुर्नविलोकनकर्ता की समक्ष में सुनवाई करने के उपरांत उपरोक्त आदेश दिनांक 10–4–2017 का पुर्नविलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

(4)– अतएव कृपया पुर्नविलोकनकर्ता / आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र मे दर्शित परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय के राजस्व प्रकरण क्रमांक 0004 / अ–6(अ) / 2016–17 मौजा ठेमगॉव में पारित आदेश दिनांक 10–4–2017 का पुर्नविलोकन करने हेतु मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–51 के तहत अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नः– रा0मा0क्र0 04 / अ–6(अ) / 16–17
मौजा ठेमगॉव

अपर कलेक्टर,
बैतूल.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/विविध/बैतूल/भूरा/18/0516 जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–2–2018	प्रकरण में अपर कलेक्टर जिला बैतूल से प्राप्त पुनर्विलोकन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । पुनर्विलोकन प्रस्ताव में मात्र यह उल्लेख है कि आवेदक की समक्ष में सुनवाई के उपरांत आदेश दिनांक 10–4–2017 का पुनर्विलोकन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। क्यों आवश्यक प्रतीत होता है, इसका कोई उल्लेख अपने प्रस्ताव में अपर कलेक्टर ने नहीं किया है । आवेदक का आवेदन भी जिसमें पुनर्विलोकन की मॉग की गई है, संलग्न नहीं किया गया है । पूर्व आदेश में क्या त्रुटि है, यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है । अतः प्रस्ताव में पुनर्विलोकन में आवश्यक तथ्य उपलब्ध नहीं होने के कारण यह पुनर्विलोकन अमान्य किया जाता है । अपर कलेक्टर का अभिलेख वापिस हो । अध्यक्ष	